विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जोकि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए थे। इसमें XVIII अध्याय शामिल हैं। अध्याय I संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XVII वर्तमान के विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XVIII पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्रवाई टिप्पणियों की सारांशीकृत स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों को मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति दर्शाता है।

इस प्रतिवदेन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद

सेवा कर के संग्रहण न होने के कारण परिहार्य व्यय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का अधिसूचित वस्तुओं के निर्यातकों से निरीक्षण और प्रमाणन पर सेवा कर के संग्रहण के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को समय पर निर्देश देने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹9.98 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

निष्फल व्यय

राज्यों में भार एवं माप अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न राज्यों को धर्मकांटों की जांच करने के लिए मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति की। तथापि, विभाग ने मो.वै.कि. के प्रापण से

पहले राज्यों में उनके संभावित उपयोग का निर्धारण करने हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 2007 से 2010 के दौरान 11 राज्यों में, ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थीं जो जनवरी 2015 तक उपयोग में नहीं थी।

(पैराग्राफ 3.1)

संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी

निष्फल व्यय

कला प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सृजित दिल्ली रिज पर स्थित रबिंद्र रंगशाला को अप्रैल 1993 में संगीत नाटक अकादमी को सुपूर्द किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (मई 1996) में, दिल्ली रिज, जहाँ रंगशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। अकादमी ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़ का व्यय किया जबकि यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.1)

विदेश मंत्रालय

रोम में चांसरी भवन खरीदने में विफलता

गैर-योजनागत व्यय पर समिति द्वारा जुलाई 2011 में आवश्यक अनुमति तथा निधियों की उपल्बधता के बावजूद मिशन तथा मंत्रालय रोम में चांसरी हेतु भवन खरीदने में विफल रहा जिससे बहिर्गमन उपबंध के बिना भवन को लगातार किराए पर लिया जाता रहा जिसके कारण ₹41.71 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता उत्पन्न हुई।

(पैराग्राफ 5.1)

वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

सेवा कर पर परिहार्य व्यय

ग्राहकों से सेवा कर की वसूली में विफलता तथा स्वयं की निधियों में से उसके अनुवर्ती भुगतान का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना

यातायात भत्ते का अधिक भुगतान

उच्च प्रशासनिक ग्रेड (उ.प्र.ग्रे.) वेतनमान में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टरों को केन्द्र सरकार विभागों के संयुक्त सचिवों के स्तर के अधिकारियों के साथ सममूल्य पर ₹7000 प्रतिमाह की दर पर यातायात भत्ते का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के नियमावली में वह प्रतिमाह केवल ₹3200 के यात्रा भत्ते के लिए हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमों के गलत उपयोग के कारण नवम्बर 2008 एवं मार्च 2014 के बीच डॉक्टरों को ₹5.74 करोड़ के यातायात भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

सफदरजंग अस्पताल

वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹ 1.68 करोड़ का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल ने गलत तरीके से अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण किया था जिसके कारण अगस्त 2014 तक ₹1.68 करोड़ के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर अस्पताल ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)।

(पैराग्राफ 7.3)

गृह मंत्रालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

आयुध फैक्टरियों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अग्रिम के रूप में दिए ₹15.58 करोड़ का अवरोधन

आई.टी.बी.पी. के सपोर्ट बटालियन ने हथियार तथा गोला बारूद की खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में विभिन्न आयुध फैक्टरियों को ₹15.58 करोड़ की अग्रिम निधियों का भुगतान किया जो तत्काल आवश्यक हथियार तथा गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अवरूद्ध रह गई।

(पैराग्राफ 8.2)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

₹ 2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ₹ 2.15 करोड़ का व्यय उन गतिविधियों पर किया जो चार क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी।

(पैराग्राफ 8.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, मेघालय

परिहार्य अतिरिक्त देयता

संस्था ने परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए ठेके के अकुशल संचालन के कारण ₹12.67 करोड की परिहार्य अतिरिक्त देयता की।

(पैराग्राफ 9.1)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ किए अनुबंध की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा निर्माण

कार्यों के चरणबद्ध लक्ष्यों को उनकी प्राप्तियों के साथ जोड़े बिना रा.भ.नि.नि. को असामयिक रूप से भुगतान जारी किए गए। मार्च 2010 तथा मार्च 2011 के बीच रा.भ.नि.नि. को जारी कुल ₹88.11 करोड़ की राशि में से केवल ₹36.72 करोड़ का उपयोग किया गया था जिससे एक बड़ी धनराशि रा.भ.नि.नि. के पास अवरूद्ध पड़ी रही।

(पैराग्राफ 10.1)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता

कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन (श्र.क.सं.) बीड़ी कर्मकारों, लौह, मैगनीज, क्रोमियम, चूना पत्थर खदानों एवं सिने उघोगो में श्रमिकों के कल्याण हेतु निधियों की स्थापना करने के लिए ससंद के अधिनियमों के क्रियान्वयन तथा इन कोषों से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। श्र.क.सं., कोलकाता की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नकली/एकाधिक कार्ड जारी किये जाने से बचने हेतु न तो कोई निर्धारित प्रक्रिया थी और न ही कोई नियंत्रण लगाये जा रहे थे। आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा उपयुक्त डाटा बेस के अभाव में श्र.क.सं. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लाभ पात्र श्रमिकों तक समायोचित रूप से पहुँच रहे हैं।

(पैराग्राफ 11.1)

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय ने "राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण" योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए बिना केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.) को कुल ₹1.91 करोड़ की राशि समय से पूर्व जारी की। इससे भारत की समेकित निधि से रोकड़ की समयपूर्व निकासी हुई तथा के.व.प. के पास निधियॉ अनावश्यक रूप से पड़ी रही।

(पैराग्राफ 12.1)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर केन्द्र, कोलकाता

व्यर्थ व्यय होना

सुरक्षा मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना खेल अवसंरचना का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ मूल्य की अवसंरचना बेकार रही और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त जनजातीय युवकों को खेल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 14.1)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता

नगरपालिका प्राधिकरण को अधिक भुगतान

सुसंगत अधिनियम की प्रचलित धारा का सत्यापन किए बिना नगर पालिका प्राधिकरण को नगरपालिका राशियों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 15.1)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ए.आ.आ.वि.) की स्थापना की योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय उचित सचेतना लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इसने राज्य में दो ए.आ.आ.वि. में वास्तविक छात्र संख्या की गणना किए बिना अनुदानें जारी की जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बनी।

(पैराग्राफ 17.1)